प्लेटो के न्याय सिद्धान्त

प्रश्न- प्लेटो के न्याय की अवधारणा की विवेचना करें।

उत्तर :- न्याय की व्याख्या और उसकी प्राप्ति "रिपब्लिक" का केन्द्रीय प्रश्न है। रिपब्लिक ग्रंथ का मूलशीर्षक था Dikaiosune अर्थात न्याय संबंधी अथवा न्याय से सम्बंधित (Concerning Justice). प्लेटो ने आदर्श रिपब्लिक की स्थापना में न्याय सिद्धान्त को अत्यंत महत्व दिया है। उसके अनुसार न्याय सिद्धान्त एक ऐसी औषधि है, जो समाज में अशान्त, अव्यवस्था, कर्तव्य-विमुखता तथा बुद्धिहीनता आदि व्याधियों को जो एक आदर्श समाज के स्वास्थ्य के लिए घातक हैं, दूर कर सकती है। प्लेटो चाहता था कि हर व्यक्ति संतोषपूर्वक अपना-अपना निर्दिष्ट कार्य करता रहे। उसकी दृष्टि में यही सामाजिक न्याय है जिसे दूसरे शब्दों में समाज जीवन का सच्चा सिद्धान्त कह सकते हैं।

प्लेटो की रिपब्लिक का प्रयोजन न्याय के उन सभी झूठे विचारों को काटना था, जिन्हें जनसाधारण की अज्ञानता के कारण सोफिस्टों ने फैला रखा था। बार्कर के शब्दों में, "प्लेटो चाहे सोफिस्टों से लोहा ले रहा हो, अथवा समाज के प्रचलित प्रथा के सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, उसके चिंतन की केवल एक ही धुरी है, और उसके विवेचन का केवल एक ही मंत्र है और वह है न्याय।

न्याय की परिभाषा देते हुए प्लेटो ने लिखा है कि —"समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसको प्राप्य है।" सेबाइन के शब्दों में, "प्राप्य से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता एवं शिक्षा-दीक्षा के अनुरूप व्यवहार का पात्र समझा जाए। अपने न्याय सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के लिए अपने पात्रों के सम्वादों के माध्यम से प्लेटो ने पहले उन मतों का खण्डन किया है, जिनका तत्कालीन यूनान में प्रचलन था। उसने अपने समकालीन भिन्न न्याय-सिद्धान्तों की भ्रान्तियाँ उजागर की हैं, उनमें से तीन निम्नलिखित हैं:—

1. न्याय का परंपरावादी अथवा सेफालस का सिद्धान्त :—

इस सिद्धान्त का प्रवर्तक सेफालस तथा उसका पुत्र पोलीमार्कस है। सेफेलस का मत है कि, "सत्य बोलना तथा अपना ऋण चुका देना ही न्याय है।" उसका पुत्र पोलीमार्कस, यूनानी परंपराओं की पवित्रता को समझाते हुए कहता है कि, "मित्रों के साथ भलाई और शत्रुओं के साथ बुराई करना ही सच्चा न्याय है।" न्याय एक ऐसी कला है जो मित्रों का हित और शत्रुओं का अहित करने में ही देखी और पहचानी जा सकती है।

प्लेटो के सुकरात ने (जो रिपब्लिक में प्लेटो के विचारों का प्रवक्ता है) परंपरावादी न्याय का खण्डन किया है। वह कहता है कि न्याय कला नहीं हो सकती। कला दो परस्पर विरोधी कार्य कर सकती, ~~जबकि~~ अर्थात भलाई और बुराई जबकि न्याय सिर्फ भलाई का कार्य करती है। एक डाक्टर अपनी कला से एक व्यक्ति को स्वस्थ्य और रोगी भी बना सकता है। न्याय को कला कहना इस अर्थ में भी अनुचित है कि न्याय को अनुभव द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता क्योंकि न्याय अल्प ज्ञान (Lesser Knowledge) का विषय न होकर वृहत्तर ज्ञान (Greater Knowledge) का विषय है। न्याय कोई तकनीक भी नहीं है। यह व्यक्ति के आत्मा का गुण है।

मित्र और शत्रु को पहचानना मुश्किल है, कितने व्यक्ति

2. ऐसे हैं जो ऊपर से मित्र तथा आंतरिक रूप में शत्रु होते हैं। किसी बुरे आदमी के साथ बुरा बर्ताव

करने पर वह और अधिक बुरा व्यक्ति बन जाएगा। इस प्रकार न्याय का काम पहले के अपेक्षा और खराब करना नहीं है।

2. उग्रवादी सिद्धान्त अथवा थ्रेसीमेकस का सिद्धान्त :- इस सिद्धान्त का प्रतिपादन थ्रेसीमेकस करता है। वह एक सोफिस्ट है, और इसलिए परंपरावादी नैतिक मान्यताओं में कोई विश्वास नहीं रखता। उसका कहना है कि "न्याय सबल का हित है।" (Justice is the interest of the stronger). इस अवधारणा के अनुसार सत्य और शक्ति एक ही बात है। दूसरे शब्दों में बाहुबल उचित है। इससे "जिसकी लाठी उसकी भैंस" वाली कहावत चरितार्थ होती है।

ii) थ्रेसीमेकस की दूसरी अवधारणा है कि "अन्याय न्याय से बेहतर है।" थ्रेसीमेकस के अनुसार राज्य के कानूनों का पालन हमें केवल तभी करना चाहिए जबकि हम ऐसा करने के लिए बाध्य हो जाएँ, किंतु यदि हम में सामर्थ्य है, और हमारा स्वार्थ माँग करता है तो हमें अवश्य तोड़ देना चाहिए।

प्लेटो कहता है कि शासन एक कला है। प्रत्येक कला का अपना एक उद्देश्य होता है अपनी विषय-वस्तु की त्रुटियों को दूर करना। अतः शासक (सबल) का भी उद्देश्य अपने स्वार्थ की सिद्धी करना नहीं बल्कि जनकल्याण करना है।

प्लेटो थ्रेसीमेकस के दूसरी मान्यता का भी खण्डन करता है, और कहता है कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक निश्चित कार्य तथा गुण होता है। कोई भी वस्तु अपने गुण को छोड़कर अपना स्वभाव-सुलभ कार्य संपन्न नहीं कर सकती। उदाहरणस्वरूप यदि आत्मा अपने धर्म अर्थात न्यायमय जीवन से विमुख हो जाए तो वह स्वच्छ आत्मा नहीं रह सकती। न्यायी आत्मा ही सुखी और स्वस्थ आत्मा है। अतः एक न्यायी व्यक्ति अच्छा है अन्यायी से।

3. न्याय का व्यवहारवादी अथवा ग्लाकॉन का सिद्धान्त :- न्याय के व्यवहारवादी सिद्धान्त के मुख्य प्रतिपादक ग्लाकॉन (Glucon) हैं। उनका कहना है कि —

(i) न्याय शक्तिशाली का नहीं, अपितु दुर्बल व्यक्तियों का हित है।

(ii) ग्लूकॉन की दूसरी मान्यता है कि, "न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, और वह भय की संतान है।"

ग्लाकान की पहली मान्यता हाब्स के सामाजिक अनुबंध से काफी मिलता जुलता है। समझौता कमजोर वर्ग एवं भय की आवश्यकता पर निहित है। समझौते के माध्यम से न्याय की संहिता का निर्माण किया जाता है। ग्लाकान यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते के माध्यम से हुई है, किसी सर्वव्यापी नैतिक सिद्धान्त के आधार पर नहीं।

प्लेटो ने इस सिद्धान्त की भी आलोचना की है। प्लेटो के अनुसार न्याय कोई बाहरी और कृत्रिम वस्तु नहीं होता कि उसकी उत्पत्ति समझौते से हो। न्याय तो व्यक्ति के आत्मा का गुण है। यह शाश्वत होता है।

प्लेटो के न्याय का सिद्धान्त :- प्लेटो (सुकरात के साथ) न्याय के विषय में उपर्युक्त समस्त धारणाओं का खण्डन करते हुए यह मत अभिव्यक्त करता है कि न्याय का आधार न तो कोई परंपरा या संविदा है, और न ही उसका मूल मनुष्य की स्वाभाविक

Scanned with CamScanner

स्वार्थपरता अथवा भय की भावना है। न्याय मानव आत्मा का सर्वोपरी तथा सर्वोत्कृष्ट गुण है, वह एक शाश्वत सत्य एवं निरपेक्ष सत्य है।

रिपब्लिक में न्याय सिद्धान्त का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हुआ है। उसके अनुसार मानव आत्मा में तीन प्रधान गुण होते हैं — विवेक, साहस और क्षुधा। क्षुधा तत्त्व वह जिस मनुष्य में साहस और क्षुधा की जगह विवेक की प्रधानता होती है, वह मनुष्य विवेकी, जिसमें विवेक और क्षुधा की जगह साहस की प्रधानता होती है, वह साहसी, और जिसमें विवेक और साहस की जगह क्षुधा की प्रधानता होती है, वह मनुष्य लोभी होता है। आत्मा के प्रत्येक तत्व का अपना स्वाभाविक कार्य होता है।

क्षुधा (वासना) हमें रोटी, कपड़ा, मकान, इत्यादि तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करती है। साहस (शौर्य) हमें जीवन में उत्साह, वीरता तथा निर्बलों की रक्षा के भाव से ओत-प्रोत करता है। विवेक का कार्य है नियंत्रण करना। विवेक अथवा बुद्धि इन तीनों गुणों में सर्वप्रधान है।

व्यक्ति में इन गुणों के अनुरूप ही समाज को भी तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है — (1) उत्पादक वर्ग — जिसके सदस्यों में वासना (क्षुधा) तत्व की प्रधानता होती है, और जिनका कार्य समाज की आर्थिक अथवा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। (2) सैनिक वर्ग — जिसके सदस्यों में शौर्य अथवा साहस की प्रधानता होती है, तथा जिनका कार्य समाज की रक्षा करना होता है। (3) शासक वर्ग — इनका कार्य शासन - संचालन है।

प्लेटो के अनुसार समाज में न्याय की उपलब्धि तभी हो सकती है जबकि उसका प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार आचरण करे अर्थात अपने स्वधर्म का पालन करे। प्लेटो दो तरह की न्याय का बात करता है —

1) न्याय का सामाजिक रूप :— न्याय सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों होता है। सामाजिक रूप में न्याय तभी सम्भव है, जब समाज के सभी वर्ग अपने स्वाभावानुकूल कार्यों का संपादन कर परस्पर सामंजस्य और एकता बनाये रखते हैं। उदाहरणस्वरूप दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक एवं उत्पादन वर्ग। दार्शनिक शासक में विवेक की, सैनिक वर्ग में साहस की और उत्पादन वर्ग में क्षुधा की प्रधानता होती है। अतः वही राज्य न्यायी होता है जहाँ दार्शनिक शासन करता है, सैनिक रक्षण कार्य करता है, तथा उत्पादक वर्ग उत्पादन करता है। ये तीनों वर्ग अपने अपने कार्य में विशिष्टता प्रदान करते हैं, तथा एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते, और परस्पर सामंजस्य बनाए रखते हैं।

2) न्याय का व्यक्तिगत रूप :— सामाजिक न्याय के साथ-साथ प्लेटो ने व्यक्तिगत न्याय के स्वरूप पर भी प्रकाश डाला है, और उसके महत्व को स्वीकार किया है। प्लेटो के अनुसार राज्य, व्यक्ति का ही विशाल रूप है। अतएव व्यक्तिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

व्यक्तिगत न्याय तभी संभव है जब आत्मा के तीनों तत्व विवेक, साहस और क्षुधा अपने-अपने कार्यों का संपादन करते हुए परस्पर सामंजस्य बनाए रखते हैं। इस प्रकार यदि सामाजिक न्याय का अर्थ प्रत्येक सामाजिक वर्ग का अपना-अपना कार्य

Scanned with CamScanner

करना है, तो व्यक्तिगत न्याय का अर्थ आत्मा के तीनों तत्वों का अपनी-अपनी जगह अपने-अपने कार्यों को करते रहना है। जिस तरह सामाजिक न्याय में एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्य-क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता उसी प्रकार व्यक्तिगत न्याय के क्षेत्र में आत्मा के तीनों तत्वों को अपने ही क्षेत्र में सीमित रहना चाहिए। और एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करना, तथा अपने ही क्षेत्र में सीमित रहना ही न्याय है।

प्लेटो के न्याय सिद्धान्त की विशेषताएँ :-

i) प्लेटो का न्याय बाह्य जगत की वस्तु न होकर आंतरिक स्थिति है। यह किसी बाह्य शक्ति द्वारा किसी पर आरोपित नहीं किया जाता।

ii) प्लेटो का न्याय अहस्तक्षेप के सिद्धान्त से संयुक्त है।

iii) प्लेटो का सामाजिक न्याय – कार्य-विशेषीकरण (Specialisation of Functions) पर आधारित है।

iv) न्याय सिद्धान्त एक कानूनी धारणा नहीं है, इसका सम्बन्ध नैतिकता से है।

v) प्लेटो का न्याय सिद्धान्त रचनात्मक है, उसने न्याय की आधारशीला पर राज्य का निर्माण किया है।

vi) यह कर्तव्य का द्योतक है, अधिकार का नहीं।

आलोचना :- प्लेटो के न्याय सिद्धान्त की निम्नलिखित आलोचनाएँ हैं -

i) सर्वप्रथम यह सिद्धान्त स्वविरोधी है; अर्थात इसमें आंतरिक विरोध पाया जाता है। प्लेटो व्यक्तिगत न्याय में आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य की बात करता है, वहीं और जिसके जीवन का निर्देशन बुद्धि द्वारा होता है। किंतु दूसरी ओर सामाजिक न्याय की प्राप्ति केवल एक ऐसे राज्य में करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने केवल एक ही गुण को विकसित करता है।

ii) यह सिद्धान्त व्यक्ति के केवल कर्तव्यों पर जोर देता है, उसके अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं देता। न्याय की धारणा में अधिकार अवश्य निहित है, और व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखना न्याय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है।

iii) इस सिद्धान्त का कोई कानूनी आधार नहीं है, यह केवल व्यक्ति की कर्तव्य भावना पर आधारित है। बिना कानून की शक्ति के प्लेटो का न्याय एक पवित्र भावना मात्र रह जाता है, उसका व्यवहारिक महत्व कुछ अधिक नहीं।

iv) यह सिद्धान्त निष्क्रियता का पोषक है, क्योंकि यह व्यक्ति को केवल अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए नहीं। जबकि अधिकार के लिए संघर्ष करना मानव-प्रगति के लिए अति आवश्यक है।

v) यह कार्य-विशेषीकरण के माध्यम से वर्ग-भेद को मान्यता देता है जो अव्यवहारिक भी है और अवांछनीय।

vi) इसका एक बहुत बड़ा दोष यह है कि यह राज्य में केवल एक वर्ग को ही शासन सत्ता देकर, और अन्य वर्गों को उससे वंचित रखकर विशेषाधिकारों का समर्थन करता है।

vii) अन्त में, इस सिद्धान्त का सबसे गंभीर दोष यह है कि यह दार्शनिक राजाओं को निरंकुश शासन को अपरिहार्य मानता है।

निष्कर्ष – (प्रासंगिकता)

Conclusion :- निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धान्त में मानव के समस्त कर्तव्यों का समावेश है जबकि आधुनिक न्याय सिद्धान्त सिर्फ कानूनी अधिकारों के संघर्ष की स्थिति में कार्यरत होता है।

प्लेटो के न्याय सिद्धान्त का मूल उद्देश्य था - एथेन्स में सामाजिक विविधता, आर्थिक विषमता तथा राजनीतिक अराजकता को दूर करना। इसके लिए उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना की, जिसमें शासक वर्ग, सैनिक वर्ग एवं उत्पादक वर्ग को स्थान दिया गया। प्लेटो ने कहा कि यदि ये तीनों वर्ग अपने-अपने कार्य का संपादन - किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करते हुए - करते हैं तो राज्य में न्याय की उत्पत्ति होती है। प्लेटो अपने न्याय के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य में संलग्न करा के सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहता है।

Dr. Ahlakh Ahmad
(Assistant Professor)
D.K. College,
Dumraon.

Scanned with CamScanner